

दिनांक

आदेश

अभ्युक्ति

17 05 / 19

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक लक्ष्मी सामाड, पिता- श्री चरण सामाड, ग्राम- कुईदबुसू, थाना- मुफसिल जिला- पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा- तमाडबॉध, थाना नं०- 125 ,खाता नं०-142, प्लॉट नं०- 750, रकवा- 0.05 एकड़ भूमि क्रेता समिता बिरुवा, पिता- बासुदेव बिरुवा, ग्राम- कुईदबुसू, थाना- मुफसिल के पास में विक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की विक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि आवेदक के स्वयं के नाम से ना0 मु0 सं0 280(M) /98-99 के द्वारा नामांतरित है। आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है।

अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक- 330, दिनांक- 7.5.2019 एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दास्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि ईलाज एवं बच्चों की शिक्षा हेतु रुपये की आवश्यकता होने के कारण भू-खण्ड को क्रेता समिता बिरुवा, पिता- बासुदेव बिरुवा, ग्राम- कुईदबुसू, थाना- मुफसिल, चाईबासा के पास 1,88,000.00/- (एक लाख अठासी हजार) रुपये में विक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों मुफसिल थाना के निवासी हैं। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। ग्रामीण मुण्डा का विक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है।

उपरोक्त प्लॉट की विक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष 2.60 एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू-सम्पत्ति पर्याप्त है।

अतः अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में विक्रेता लक्ष्मी सामाड, पिता- श्री चरण सामाड, ग्राम- कुईदबुसू, थाना- मुफसिल, क्रेता समिता बिरुवा, पिता- बासुदेव बिरुवा, ग्राम- कुईदबुसू, थाना- मुफसिल, थाना- मुफसिल चाईबासा के पास जमीन का 1,88,000.00/- (एक लाख अठासी हजार) रुपये में मौजा- तमाडबॉध, थाना नं०- 125 ,खाता नं०-142, प्लॉट नं०- 750, रकवा- 0.05 एकड़ जमीन को विक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(ए) के अन्तर्गत विक्री द्वारा हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी जाती है।

लेखापित।


भूमि सुधार उपसमाहर्ता
सदर चाईबासा।


भूमि सुधार उपसमाहर्ता
सदर चाईबासा।